


वीटा मिल्क बूथों का आबंटन

चण्डीगढ (यूटी) हाउसिंग बोर्ड धनास में चार मिल्क बूथ व एच.एस.वी.पी पंचकुला में एक बूथ (कुल बूथ पांच) में वीटा मिल्क बूथ का आबंटन हेतू इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित हैं। जो निम्नलिखित अनुसार हैं।

1. साईट न0 'बी' धनास चण्डीगढ।
2. साईट न0 'सी' धनास चण्डीगढ।
3. साईट न0 'एच' धनास चण्डीगढ।
4. साईट न0 'ई' धनास चण्डीगढ।
5. एच.एस.वी.पी सेक्टर 26, शोपिंग सेन्टर, पंचकुला।

आवेदन प्रपत्र शर्तों सहित किसी भी कार्य दिवस को मिल्क प्लांट अम्बाला के कार्यालय से प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक 500/-रूपये के नकद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

योग्यता मानदण्ड: पंचकूला वीटा मिल्क बूथ के लिए आवेदक उसी जिले का व धनास चण्डीगढ वीटा मिल्क बूथ के लिए आवेदक हरियाणा और चण्डीगढ का निवासी होना चाहिए। जिसकी शैक्षिक योग्यता मैट्रिक पास व आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन जमा कराने की अन्तिम तिथि 06.08.2020 को 4.00 बजे तक है। आवेदन प्रपत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में 50,000 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट जो कि "दी अम्बाला जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि अम्बाला" के पक्ष में देय हो, संलग्न होना चाहिए। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। बूथों का आबंटन हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट को-आपॅरेटिव फ़ैडरेशन लिमिटेड की नीति अनुसार गठित की गई कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।


मुख्य कार्शकारी अधिकारी,
दुग्ध संघ अम्बाला।